



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार – 249404

संख्या: 133/01/डी0आर0(डिप्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 03 जून, 2024

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों में अंकित A.P.I. स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गए थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास (History) विषय के निम्न अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे से संबंधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने के कारण निम्न तालिका के कॉलम-3 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	509723	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा खालसा कॉलेज फॉर वीमेन लुधियान पंजाब से जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विज्ञापन के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत संविदा/विजिटिंग प्रवक्ता को अधिमान अनुमान्य है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंकों का दावा मान्य नहीं है।
2.	509740	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3.	510149	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4.	510491	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5.	510572	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6.	510602	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार परिशिष्ट-05 संलग्न नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
7.	511128	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

20.	509773	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून के अन्तर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में गैस्ट फ़ैकल्टी का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त विश्वविद्यालय विज्ञापन की शर्तानुसार राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
21.	509794	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
22.	510441	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में संविधा प्रवक्ता/विजिटिंग लेक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने संबंधित प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-05 संलग्न नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
23.	510888	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
24.	511270	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
25.	511535	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 18.06.2024 (मंगलवार) के सांय 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-SD-
(अवधेश कुमार सिंह)
प्रभारी सचिव